न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीम का थाना

उनवान :- सूरज कंवर बनाम नन्दू कंवर वगै.

तारीख हुक्म	किस्म :- अपील मु०नं० :- 92/2023 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
1/5/24		

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस बताया था कि भूमि ख० न० 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732 कुल रकबा 0.83 हे० तन ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। उक्त भूमि का बंटवारा हेतु उपखण्ड कार्यालय श्रीमाधोपुर में वाद व प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। जिसका अन्तिम निर्णय नही हुआ है। उक्त भूमि पर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा अन्तरिम स्टे भी जारी किया हुआ है। जो आज भी है। न्यायालय का स्टे होते हुए पूर्व में दिनांक 5-8-2011 को हुए विक्रय पत्र का नामान्तकरण संख्या 3139 स्टे के दौरान करीब 12 वर्ष के पश्चात स्वीकार किया गया है जो अवैध है। इस आधार पर उक्त नामा० अवैध रूप से तस्दीक किया गया है। उक्त नामा० की जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत की दी गई। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा० पत्र भी पेश किया है। अतः मियाद बाबत धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा० सं 3139 आदेश 13.6.23 निरस्त फरमाया जावे।

अतः अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अधिनियम का न्यायहित मे स्वीकार किया किया जाता है।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड [illegible] किया गया। पत्रावली के अवलोकन से [illegible] पाया कि अपीलान्ट द्वारा [illegible] दिनांक 13-6-2023 को [illegible] गई है। पत्रावली में उपलब्ध नाम० सं 3139 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि विक्रय पत्र दिनांक 5-8-2011 का नामा० उसके अनुसार भरा गया है। जिसको तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 13-6-2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.06.03 15:58:35 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

को स्वीकृत किया गया है। यह बात तो सही है कि उक्त नामान्तकरण करीब 12 वर्ष के पश्चात भरा गया है। परन्तु उक्त नामान्तकरण विक्रय पत्र के आधार पर भरा गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा जो वाद उपखण्ड कार्यालय श्रीमाधोपुर में विचाराधीन बताया जो आज भी चल रहा है। वकील अपीलान्ट द्वारा बताया कि विक्रय पत्र का नामा करीब 12 वर्ष के बाद रहे के दौरान भरा गया है। जिस बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड पेश नही किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विक्रय पत्र को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी हो। जिस भूमि का बेचान किया गया है वो प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि का किया है। [illegible] अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई [illegible] दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी हो। इन सभी तथ्यों से यह साबित होता है कि नामान्तकरण विक्रय पत्र के आधार पर भरा गया है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। विक्रय पत्र एक पंजिबद्ध दस्तावेज है जिस पर सन्देह नही किया जा सकता। इस आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज कि जाती है तथा नामा. सं 3139 आदेश दिनांक 13-6-23 तहसीलदार श्रीमाधोपुर का [illegible] रखा जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली [illegible] कुमार होकर नम्बर से कम [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.06.03 15:58:35 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना